भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *49

दिनांक 04 फरवरी 2026 / 15 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद

***49# श्री नीरज शेखरः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यू) के वित्तपोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य पुलिस बलों की क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 49 दिनांक 04.02.2026

“वामपंथी उग्रवाद” के संबंध में दिनांक 04.02.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *49 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में “वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना” का अनुमोदन किया गया था। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है।

(i) सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार LWE प्रभावित राज्य सरकारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करके और इंडिया रिजर्व बटालियन, हेलीकॉप्टर सहायता, सुरक्षा शिविर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के निर्माण आदि में सहायता करती है।

• राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 2014-15 से, सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के तहत LWE प्रभावित राज्यों को सुरक्षा बलों के परिचालन व्यय और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले LWE कैडर के पुनर्वास, LWE हिंसा में मारे गए शहीद सुरक्षा बल कर्मियों/नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए 3681.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

• भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां बनाई हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के हिस्से के रूप में 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों का भी समर्थन करती है। भारत सरकार SRE योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर LWE प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के अलावा, उच्च रैंक वाले LWE कैडर के लिए 5 लाख रुपये और अन्य LWE कैडर के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत हथियार/गोला-बारूद के आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, तीन साल के लिए 10,000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियों को और अधिक आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए संशोधित किया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या * 49 दिनांक 04.02.2026

• राज्यों के पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" योजना के तहत पूरक बनाया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता और पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी उप-योजना यानी विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत, LWE प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (SIBs), जिला पुलिस और फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के सुदृढ़ीकरण के लिए 1761 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण रहा है। अब तक 656 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं।

• LWE मैनेजमेंट के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना (ACALWEMS) के तहत, कैंपों के आधारभूत ढांचे और LWE विरोधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। 2014-15 से इस योजना के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को 1224.59 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

• LWEs की वित्तीय नाकेबंदी (financial chocking) और CPI (माओवादी) और उसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। LWE को फंड और अन्य संसाधनों की नाकेबंदी की प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई कर रही है। LWE की फंडिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए एवं विभिन्न खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए 2011 से गृह मंत्रालय में "आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (Combating Financing Terrorism) सेल" स्थापित किया गया है।

- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में आतंकवादी फंडिंग और जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक 'टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल' (TFFC) भी स्थापित किया गया है।

- देश के भीतर FICN के सर्कुलेशन का मुकाबला करने के लिए एवं केंद्र और राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी/सूचना साझा करने के लिए एक 'FICN समन्वय केंद्र' (FCORD) भी काम कर रहा है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों (UNSCRs) 1367, 1373 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 51 (A) के माध्यम से आतंकवादी संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें फंड/संपत्ति को फ्रीज करना, जब्त करना और अटैच करना शामिल है, इस प्रकार आतंकवादी संस्थाओं के फंड के प्रवाह को प्रतिबंधित किया गया है और एक आतंकवादी संगठन के सदस्यों और नामित आतंकवादियों पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

- LWE कैडरों को फंड के प्रवाह की निगरानी के लिए 2016 में गृह मंत्रालय में दो बहु-विषयक समूह बनाए गए थे; एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर।

- LWE को फंड और अन्य संसाधनों की प्रभावी नाकेबंदी के लिए, राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई कर रही है। इन कदमों में सिस्टम की कमियों को दूर करना, अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पक्का करना, जानकारी शेयर करना और फंडिंग चैनल को ब्लॉक करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाना, जांच/मुकदमे के तहत मामलों की प्रगति की निगरानी करना, जवाबी उपाय विकसित करने के मकसद से फाइनेंशियल माध्यमों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अलग-अलग तरीकों की पहचान करना शामिल है।

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को काफी हद तक मजबूत किया गया है और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य जांच एजेंसियां (SIA) भी स्थापित की गई हैं। छत्तीसगढ़ में चार NIA विशेष न्यायालयों को शुरू किया गया है और अन्य राज्यों में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जांच, अभियोजन और निगरानी में एजेंसियों को सुविधा प्रदान करने के लिए आईएमओटी पोर्टल के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से संबंधित UAPA मामलों की निगरानी की जा रही है।

(ii) विकास के मोर्चे पर, भारत सरकार (GoI) की प्रमुख योजनाओं के अलावा, कई LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए खास पहल की गई हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

• सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 LWE विशिष्ट योजनाओं, जैसे रोड रिक्वायरमेंट प्लान (RRP) और LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (RCPLWEA) के तहत 15,016 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है।

• LWE प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 9,233 टावर चालू किए गए हैं।

• कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केंद्र (SDC) खोले गए हैं।

• आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) चालू किए गए हैं।

• वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने LWE प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। सबसे अधिक LWE प्रभावित जिलों में 1804 बैंक शाखाएँ और 1321 ATM खोले गए हैं।

• विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अति प्रभावित LWE जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को भरने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक, 2017 में योजना की शुरुआत से 3,953.67 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iii) 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015' के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। LWE, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में इसे काफी हद तक नियंत्रित किया गया है और यह केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। LWE प्रभावित जिलों की संख्या 2018 में 126 से घटकर दिसंबर-2025 में केवल 08 रह गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही अति LWE प्रभावित हैं। LWE द्वारा की गई हिंसा की घटनाएँ 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 88% कम होकर 2025 में 234 हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 90% कम होकर 2025 में 100 हो गई हैं।

2025 में, सुरक्षा बलों ने 364 नक्सलियों को मार गिराया, 1022 को गिरफ्तार किया और 2337 को आत्मसमर्पण कराया। LWE से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर 2025 में 119 पुलिस स्टेशन हो गई है।

(iv) भारत सरकार देश से LWE को पूरी तरह खत्म करने के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने वाले क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
